

विज्ञप्ति संख्या.. 23/2015

## कार्यालय – जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद सूचना


निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत वर्ष में दिनांक 01/04/2010 से लागू है। अधिनियम की धारा 18 (1) के अनुसार,

“No School, other than a school established, owned or controlled by the appropriate government or the local authority, shall, after the commencement of this act, be established or function, without obtaining a certificate of recognition from such a authority, by making an application in such form a mannar, as may be prescribed”

अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार, “No School shall be established, or recognized, under, section 18, unless it fullfills the norms and standards specified in the schedule”

अधिनियम की धारा 19 (2) के अनुसार, “Where a school established before the commencement of this act dose not fullfill the norms and standareds specified in the schedule, it shall take steps to fullfill such norms and standards at its own expenses, within a priod of three years from the date such commencement,”

अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत धनबाद जिला में संचालित कुल 205 विद्यालयों से मान्यता प्राप्त हेतु विहित प्रपत्र (प्रपत्र-1) में आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कार्यालय स्तर पर की गयी। विद्यालय को मान्यता देने में कार्यालय को जो आपत्ति है उसका विवरण विद्यालय के नाम के सामने अंकित किया गया है जिसे धनबाद के वेब साईट पर [www.dhanbad.nic.in](http://www.dhanbad.nic.in) पर देखा जा सकता है। आपत्ति के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन को यदि कुछ कहना है तो साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति विज्ञापन की तिथि से एक माह के अन्दर हाँथो-हाँथ कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक यदि कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अधिनियम की धारा 19 (3), 19 (4), 19 (5) के तहत आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
धनबाद।